राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–सामान्य / स्वा.का.पु. / 2019 / दिनांक :–

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि एमपीडब्ल्यू संवर्ग के चयनित वेतन श्रृखंला से संबंधित मामले कार्यरत कार्मिको / सेवानिवृत कार्मिको अथवा उनके आश्रित परिजनों द्वारा विभिन्न न्यायालय / अधिकरण में दायर किये जाते है जिनमें पारित निर्णय की पालना के परिपेक्ष्य में निदेशालय स्तर से संबंधित याचिकर्ता / अपीलार्थी को निर्णयानुसार एवं वित्त विभाग के आदेशों / निर्देशों के अनुरूप सशोधित चयनित वेतन श्रृखंला स्वीकृत की जाती है, जिसकी कियान्विति संबधित कार्यालयों द्वारा त्वरित गति से नही किये जाने के कारण याचिकर्ता / अपीलार्थी को देय परिलाभ का समय पर भुगतान नही होने के परिणामस्वरूप प्रकरण में नवीन याचिका / अवमानना दायर की जाती है।

अवमानना के प्रकरणों में माननीय न्यायालय / अधिकरण द्वारा उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है जिससे विभाग / राज्य सरकार की छवि पर बुरा प्रभाव पडता है।

अतः एमपीडब्ल्यू संवर्ग के अब तक चयनित वेतन श्रृखंला से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की पालना में निदेशालय द्वारा जारी संशोधित चयनित वेतन श्रृखंला के स्वीकृति आदेश की कियान्विति त्वरित गति से पूर्ण कर पालना रिपोर्ट से प्रकरण में नियुक्त केस प्रभारी अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी आवश्यक रूप से अवगत करावे ताकि न्यायालय / अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना के सबंध में दायर हो रही अवमानना / नवीन एस.बी. याचिका से बचा जा सके।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0जयपुर

क्रमांकःएफ.142 पार्ट 5 / स्वा.का.पु. / 2019 / 581 दिनांक :– 23/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अब किसी प्रकरण में पारित निर्णय की पालना की कियान्विति पूर्ण नही किये जाने के अभाव में अगर कोई अवमानना दायर होती है तो उसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0जयपुर